

आयकर आयुक्त, बिहार

बनाम

दलमिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

[ए. के. सरकार, एम. हिदायतुल्लाह तथा जे. सी. शाह, न्यायमूर्तिगण]

आयकर अधिनियम—व्यवसाय—निवेश कंपनी—शेयरों का लेन-देन—बोनस शेयर—मूल्यांकन।

निर्धारिती कंपनी शेयरों का व्यवसाय करती थी तथा 1 जनवरी 1948 को उसके पास शेयरों के निवेश भी थे। निर्धारिती के पास रोहतास इंडस्ट्रीज़ के 1,10,747 शेयर थे, जिनका लेखामूल्य 15,57,902 रुपये था। इन शेयरों में से 31,909 शेयर बोनस शेयर थे, जिन्हें रोहतास इंडस्ट्रीज़ ने वर्ष 1945 में प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य पर जारी किया था, और निर्धारिती ने बोनस शेयरों के संबंध में निवेश खाते में 3,19,090 रुपये की विकलन प्रविष्टि तथा उसी राशि की प्रत्यय प्रविष्टि पूंजी आरक्षित खाते में की थी। निर्धारिती ने ये बोनस शेयर 1944 में 5,84,283 रुपये की लागत पर प्राप्त किए थे। 29 जनवरी 1948 को निर्धारिती ने कुल 1,10,747 शेयर 15,50,458 रुपये में बेच दिए। निर्धारिती ने बिक्री मूल्य को 15,57,902 रुपये के लेखामूल्य से घटाकर 7,444 रुपये की हानि का दावा किया। अपीलीय न्यायधिकरण ने बोनस शेयरों का मूल्य शून्य माना और यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती ने 3,11,646 रुपये का लाभ अर्जित किया है। संदर्भ पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायधिकरण यह मानने में गलत था कि निर्धारिती ने 3,11,646 रुपये का लाभ कमाया है।

अभिनिर्धारित (न्यायमूर्तिगण हिदायतुल्लाह एवं शाह द्वारा): (i) आयकर अधिनियम "लाभांश" को परिभाषित करता है तथा कुछ दिशाओं में उसका विस्तार भी करता है, परंतु

इस प्रकार नहीं कि बोनस अंशों का निर्गमन आरक्षित निधियों का लाभ के रूप में विमोचन बना दिया जाए, ताकि उन्हें उस पद में सम्मिलित किया जा सके। अतः परिभाषा में किसी बात के कारण शेयरों का अंकित मूल्य लाभांश नहीं माना जा सकता। जो शेयर प्रमाणपत्र बोनस के रूप में जारी किया जाता है, वह धारक को कंपनी की परिसंपत्तियों में भागीदारी तथा भावी लाभों में सहभागिता का अधिकार देता है। बोनस शेयर जब बेचा जाता है तो वह अंकित मूल्य से अधिक या कम मूल्य पर बिक सकता है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रमाणपत्र उस पर अंकित राशि प्राप्त करने का कोई वाउचर नहीं है। बाजार मूल्य अनेक अनिश्चित कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से एक प्रतिफल या अपेक्षित प्रतिफल भी है। अतः यदि शेयरधारक को कोई हानि होती है तो उसकी गणना किसी सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए, किंतु बोनस शेयरों की लागत को उनके अंकित मूल्य पर निर्धारित करने की विधि न तो तथ्य से मेल खाती है और न ही व्यावसायिक लेखांकन से।

स्वान ब्रुअरी कंपनी लिमिटेड बनाम रेक्स, (1914) ए.सी. 231, अस्वीकृत।

इनलैंड रेवेन्यू आयुक्त बनाम जॉन ब्लॉट, 8 कर प्रकरण 101, अनुमोदित।

बाउच बनाम स्प्राउल, (1887) 12 ए.सी. 385, संदर्भित।

आयकर आयुक्त, बंगाल बनाम मर्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1936 ए.सी. 478

तथा *निकोलस बनाम कर आयुक्त, विक्टोरिया राज्य*, 1940 ए.सी. 744, संदर्भित।

(ii) यह नहीं कहा जा सकता कि बोनस शेयरों की शेयरधारक को कोई लागत नहीं पड़ी, क्योंकि बोनस शेयरों के निर्गमन पर उसके मूल धारित शेयरों के मूल्य में तत्काल कमी आती है। प्रयुक्त पूंजी की अर्जन क्षमता वही रहती है, चाहे आरक्षित निधि को बोनस शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाए। बोनस शेयरों के निर्गमन से वास्तविक या अपेक्षित लाभांश में समानुपाती गिरावट आती है और बाजार मूल्य उसी के अनुसार घटता है। अतः बोनस शेयरों का मूल्य शून्य मानने की गणना विधि सही नहीं हो सकती।

(iii) यदि बोनस शेयर पुराने शेयरों के साथ *समान दर्जे* रखते हों, तो पुराने शेयरों की लागत को पुराने और नए शेयरों पर संयुक्त रूप से फैलाकर बोनस शेयरों का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। यदि वे *समान दर्जे* न रखते हों, तो मूल्य को या तो उनके अंकित मूल्य के अनुपात में (यदि कोई अन्य भिन्न परिस्थिति न हो) या फिर निर्गमन से पूर्व एवं पश्चात बाजार मूल्य के आधार पर न्यायसंगत विचारों से समायोजित करना पड़ सकता है, जिसमें असामान्य उतार-चढ़ाव से प्रभावित मूल्य को न लेकर मध्य मूल्य को आधार बनाया जाए। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि इस प्रकरण में बोनस शेयर पुराने शेयरों के साथ *समान दर्जे* रखते हैं, इसलिए मूल लागत को पुराने तथा नए शेयरों पर फैलाने में कोई कठिनाई नहीं है।

आयकर आयुक्त बनाम मानेकलाल चुनीलाल एंड सन्स, आयकर संदर्भ सं. 16/1948, दिनांक 23-3-1949, अस्वीकृत।

एमरल्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी, (1956) 29 आई.टी.आर. 814, भिन्न ठहराया गया।

आइस्नर बनाम मैकॉम्बर, 252 यू.एस. 189-64 एल.एड. 521, संदर्भित।

द्वारा: न्यायमूर्ति सरकार (असहमत): (i) *ब्लॉट* प्रकरण में न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण सही है। उस प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब किसी कंपनी के उपनियम बोनस शेयर जारी करने तथा उनके अंकित मूल्य के समतुल्य संचित लाभों की राशि को शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, तब उपनियमों के अनुसार कार्य करने पर लाभों का पूंजीकरण होता है और जारी किए गए बोनस शेयर शेयरधारक के कर योग्य आय नहीं होते। *ब्लॉट* प्रकरण के बहुमत मत का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था। इस आधार पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है क्योंकि बोनस शेयर

निर्धारिती द्वारा उनके अंकित मूल्य पर अर्जित किए गए हों। उसके लाभों की गणना उस आधार पर नहीं की जा सकती।

इनलैंड रेवेन्यू आयुक्त बनाम ब्लॉट, (1921) 2 ए.सी. 171, पर अवलंबन किया गया।

स्वान ब्रुअरी कंपनी लिमिटेड बनाम किंग, (1914) ए.सी. 231, अस्वीकृत।

ऑस्बोर्न (एच.एम. कर निरीक्षक) बनाम स्टील बैरल कंपनी लिमिटेड, 24 टी.सी.

293, अनुपयुक्त।

इनलैंड रेवेन्यू आयुक्त बनाम फिशर के एक्जीक्यूटर्स, (1926) ए.सी. 395 तथा *आयकर आयुक्त, बंगाल बनाम मर्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड*, (1936) ए.सी. 478, संदर्भित।

आयकर आयुक्त बनाम मानेकलाल चुनीलाल लिमिटेड, आयकर एवं सन्स संदर्भ सं. 16/1948 तथा *एमरल्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी*, 29 आई.टी.आर. 814, संदर्भित।

(ii) *बाई शिरीनबाई कूका* का प्रकरण यह अधिकृत स्थिति स्थापित करता है कि जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यापारिक परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए चुकाई गई राशि दर्शाई नहीं जा सकती, वहाँ कर प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि वह परिसंपत्ति उसके अधिग्रहण की तिथि के बाजार मूल्य पर अर्जित की गई थी। इस प्राधिकरण के आधार पर वर्तमान प्रकरण में बोनस शेयरों को उनके निर्गमन की तिथि के बाजार मूल्य पर अर्जित माना जाना चाहिए।

(iii) इसी प्राधिकरण के आधार पर यह कहना भी सही नहीं होगा कि बोनस शेयर बिना किसी लागत के प्राप्त किए गए थे। अपीलीय आयुक्त तथा न्यायधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण समर्थनीय नहीं है।

आयकर आयुक्त, बिहार बनाम आयकर आयुक्त बनाम बाई शिरीनबाई के. कूका,
[1962] अनुपूरक 3 एस.सी.आर. 391, पर अवलंबन किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1962 की दीवानी अपील सं. 780। पटना उच्च न्यायालय के विविध न्यायिक वाद सं. 724/1958 में दिनांक 28 नवम्बर 1960 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

अपीलकर्ता की ओर से *के. एन. राजगोपाल शास्त्री* तथा *आर. एन. साचथेया*

उत्तरदाता की ओर से *एस. के. कपूर* तथा *बी. एन. किरपाल*

13 मार्च 1964। न्यायमूर्तिगण हिदायतुल्लाह एवं शाह का निर्णय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह द्वारा दिया गया। न्यायमूर्ति सरकार ने असहमति मत दिया।

न्यायमूर्ति सरकार— जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह मामला हमारे समक्ष आयकर अपीलीय न्यायधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर आया है। प्रश्न यह है कि बोनस शेयरों के अधिग्रहण की लागत किस प्रकार निर्धारित की जाए ताकि उनकी बिक्री पर किए गए लाभ का निर्धारण किया जा सके। संबंधित निर्धारण वर्ष 1949-50 है, जिसके लिए लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष 1948 है।

निर्धारिती ने शेयरों को निवेश के रूप में भी तथा शेयर विक्रेता के रूप में अपने व्यवसाय की बिक्री माल के रूप में धारण किया था। इस प्रकरण में हम केवल रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साधारण शेयरों में उसकी स्वामित्व से संबंधित हैं। 1944 में निर्धारिती ने इन शेयरों में से 31,909 शेयर 5,84,283 रुपये की लागत पर अर्जित किए थे और जनवरी 1945 तक उन्हें धारण कर रहा था। उसी महीने रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रत्येक मूल शेयर के बदले एक साधारण बोनस शेयर की दर से बोनस शेयर वितरित किए और इस प्रकार निर्धारिती को 31,909 बोनस शेयर प्राप्त हुए। उस समय से 31 दिसंबर 1947 के बीच निर्धारिती ने मूल शेयरों में से 14,650 शेयर बेच दिए, जिसके परिणामस्वरूप 1

जनवरी 1948 को उसके पास निम्नलिखित शेयर थे— (क) 1944 में अर्जित 17,259 मूल शेयर, (ख) जनवरी 1945 में जारी किए गए 31,909 बोनस शेयर, (ग) बोनस शेयरों के निर्गमन के बाद वर्ष 1945 में अर्जित 59,079 नव जारी शेयर, तथा (घ) वर्ष 1947 में अर्जित किए गए 2,500 अतिरिक्त शेयर। इस प्रकार 1 जनवरी 1948 को निर्धारिती की कुल स्वामित्व 1,10,747 शेयरों की थी, जिनका उसके खातों में मूल्य 15,57,902 रुपये लगाया गया था। इस राशि तक पहुँचने में निर्धारिती ने बोनस शेयरों का मूल्य प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य पर और अन्य शेयरों का मूल्य वास्तविक लागत पर लगाया था। 29 जनवरी 1948 को निर्धारिती ने इन सभी शेयरों को कुल 15,50,458 रुपये में, अर्थात् प्रति शेयर 14 रुपये की दर से बेच दिया और निर्धारण वर्ष 1949-50 के लिए अपने विवरण में 7,444 रुपये की हानि का दावा किया। इसी विवरण के कारण यह अपील उत्पन्न हुई।

आयकर अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती बोनस शेयरों के अधिग्रहण की लागत के रूप में उनके अंकित मूल्य के समतुल्य राशि को भारित करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था, और उसने उनकी लागत 6-8-0 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की। उसने यह मूल्य निम्नलिखित विधि से निकाला, जिसे औसत विधि कहा गया है—

584283 × बोनस शेयरों का अंकित मूल्य:

319090 × 1 / 31909

इस प्रक्रिया को अपनाते समय आयकर अधिकारी ने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय *आयकर आयुक्त बनाम मानेकलाल चुनीलाल एंड सन्स लिमिटेड* (1) का अनुसरण करने का दावा किया। बंबई उच्च न्यायालय ने बाद में इसी निर्णय का अनुसरण *एमरल्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी* (2) में किया। इसी आधार पर उसने यह

1 (आई.टी. संदर्भ सं. 16/1948, अप्रकाशित)।

2 29 आई.टी.आर. 814

अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती ने पूंजीगत लाभ के रूप में 2,39,317 रुपये का लाभ कमाया है और उसी के अनुसार कर भरित किया। अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने यह अभिनिर्धारित किया कि ये शेयर निवेश शेयर नहीं थे बल्कि निर्धारिती की बिक्री माल थे, जिन पर उसे आयकर देना था न कि पूंजीगत लाभ कर। उसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि चूँकि निर्धारिती ने स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर करने की विधि अपनाई थी और बोनस शेयरों के लिए वास्तव में कोई मूल्य अदा नहीं किया गया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि प्रारंभिक स्टॉक को 3,19,090 रुपये से कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया था। यह राशि, यह उल्लेखनीय है, बोनस शेयरों की अंकित मूल्य पर लागत को दर्शाती थी। उसके मत में बोनस शेयरों का मूल्य शून्य माना जाना चाहिए था। अपीलीय सहायक आयुक्त का निष्कर्ष यह था कि निर्धारिती शेयरों की बिक्री से 3,11,646 रुपये का व्यापारिक लाभ अर्जित करने के लिए कर योग्य था। इस दृष्टिकोण की पुष्टि आगे अपील में अपीलीय न्यायधिकरण द्वारा की गई। तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायधिकरण ने इसे व्यापारिक लाभ माना या पूंजीगत लाभ। यह प्रश्न अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश के बाद किसी भी चरण में उठाया नहीं गया और वास्तविक निर्णयन प्रश्न के लिए यह प्रासंगिक नहीं है।

न्यायधिकरण के निर्णय के पश्चात निर्धारिती ने उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त किया, जिसमें न्यायधिकरण को निम्नलिखित प्रश्न संदर्भित करने का निर्देश दिया गया—

“क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में रोहतास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयरों की बिक्री पर 3,11,646 रुपये का जो लाभ निर्धारित किया गया है, वह विधि के अनुरूप है?”

इस प्रश्न का उत्तर निर्विवाद रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बोनस शेयरों के अधिग्रहण की लागत, यदि कोई हो, सही रूप से किस प्रकार भरित की जाए। यदि अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा अपनाई गई शून्य मूल्य की विधि गलत थी, तो प्रश्न का उत्तर

नकारात्मक देना होगा। उच्च न्यायालय ने *स्वान बुअरी कंपनी लिमिटेड बनाम द किंग* ⁽³⁾ में लॉर्ड सम्नर के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती के लिए बोनस शेयरों की वास्तविक लागत उनका अंकित मूल्य था और प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया। लॉर्ड सम्नर की टिप्पणियाँ, जिन्हें उन्होंने बाद में *आयुक्त आंतरिक राजस्व बनाम ब्लॉट* ⁽⁴⁾ में और अधिक विस्तार से व्यक्त किया, निस्संदेह उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। मैं लॉर्ड सम्नर द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर आगे विचार करूँगा। अब मैं एक अन्य प्रकरण का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी अवलंबन किया था, और वह था *ऑस्बोर्न (एच.एम. कर निरीक्षक) बनाम स्टील बैरल कंपनी लिमिटेड* ⁽⁵⁾। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकरण में लॉर्ड ग्रीन, एम. आर. की टिप्पणियाँ, जिनका उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया, किसी प्रकार सहायक हैं। वहाँ केवल यह कहा गया था कि जब पूर्ण रूप से चुकता शेयर नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए विधिपूर्वक जारी किए जाते हैं, तो प्रतिफल का मूल्य कम से कम शेयरों के सम मूल्य के बराबर होना चाहिए और निदेशकों द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों के मूल्य का ईमानदारी से आकलन होना चाहिए। उस प्रकरण में पूर्ण रूप से चुकता शेयर स्टॉक के बदले जारी किए गए थे और प्रश्न यह था कि स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाए। उस प्रकरण का बोनस शेयरों के निर्गमन या उनके अधिग्रहण की लागत के निर्धारण से कोई संबंध नहीं था।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, *ब्लॉट* के प्रकरण में लॉर्ड सम्नर की टिप्पणियाँ निस्संदेह उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं, किंतु उस प्रकरण में लॉर्ड सम्नर अल्पमत में थे। अन्य विद्वान न्यायाधीशों ने, लॉर्ड डुनेडिन को छोड़कर, जिन्होंने कुछ भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था—जिसका यहाँ उल्लेख आवश्यक नहीं है क्योंकि उस पर कोई अवलंबन नहीं किया गया—यह अभिनिर्धारित किया कि जब किसी कंपनी के

3 (1914) ए.सी. 231

4 (1921) 2 ए.सी. 171

5 24 टी.सी. 293

उपनियम बोनस शेयर जारी करने और उनके अंकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पर्याप्त राशि को अपने संचित लाभों में से शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, तब उपनियमों के अनुसार कार्य करने पर जो होता है, वह लाभों का पूंजीकरण होता है और जारी किए गए बोनस शेयर शेयरधारक के कर योग्य आय नहीं होते। *ब्लॉट* के प्रकरण में उपनियमों ने ऐसी शक्ति प्रदान की थी और उसी के अनुसार कार्य किया गया था। दूसरी ओर लॉर्ड सम्नर ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूँकि कोई कंपनी बिना मूल्य के शेयर जारी नहीं कर सकती और न ही उन्हें अपने लाभों से चुकता कर सकती है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि ऐसे प्रकरण में जो हुआ, वह ऐसा था मानो कंपनी ने शेयरधारक को नकद लाभांश जारी किया हो और उसे उस दायित्व के विरुद्ध समायोजित कर दिया हो जो शेयरधारक पर उसके लिए जारी किए गए बोनस शेयरों के मूल्य का भुगतान करने हेतु था।

मेरे विचार में न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण ही वरीय है। जब अनुच्छेद बोनस शेयर जारी करने और अविभाजित लाभों को सीधे शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, तब यह नहीं कहा जा सकता कि नकद लाभांश घोषित किया गया था, जिसे शेयरों के भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जा सके। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो वास्तव में और विधिपूर्वक किया गया, वह यह था कि लाभों को शेयरधारकों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे शेयरधारकों ने उस राशि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया। बहुमत द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण बाद में सर्वसम्मति से अनुसरण किया गया है, और भले ही इसमें कोई संदेह की गुंजाइश रही हो, फिर भी इतने लंबे समय के पश्चात में स्वयं उससे विचलित होने को तैयार नहीं हूँ— *इनलैंड रेवेन्यू आयुक्तबनाम फिशर के*

एक्जीक्यूटर्स (९) तथा आयकर आयुक्त, बंगाल बनाम मर्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (१०)। यह उल्लेखनीय है कि बाद वाला प्रकरण भारत से संबंधित है।

वर्तमान प्रकरण में अभिलेख में बोनस शेयरों के निर्गमन के परिणामस्वरूप पारित प्रस्तावों अथवा उपनियमों के प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु प्रकरण हमारे समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि बोनस शेयर उपनियमों में निहित शक्तियों के अंतर्गत विधिपूर्वक जारी किए गए थे और लाभ भी उतनी ही विधिपूर्वक शेयर पूंजी खाते में स्थानांतरित किए गए थे, बिना इस प्रकार कि शेयरधारकों ने उनमें कोई अधिकार अर्जित किया हो। ब्लॉट के प्रकरण में बहुमत मत का अनुसरण करते हुए, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था। इस आधार पर आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है क्योंकि बोनस शेयर निर्धारिती द्वारा उनके अंकित मूल्य पर अर्जित किए गए हों। उसके लाभों की गणना उस आधार पर नहीं की जा सकती।

बोनस शेयरों के अधिग्रहण की लागत निर्धारित करने के दो अन्य तरीकों का सुझाव दिया गया है ताकि उनकी बिक्री पर हुए लाभ की गणना की जा सके। उनमें से एक औसत विधि है, जिसे पहले उल्लिखित मामलों में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। दूसरा तरीका यह है कि बोनस शेयरों के निर्गमन के समय मूल शेयरों के मूल्य में आई गिरावट को ज्ञात किया जाए और उस गिरावट को बोनस शेयरों पर भारित किया जाए। इन विधियों का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि यह पता लगाया जाए कि बोनस शेयरों की वास्तविक लागत निर्धारिती को कितनी पड़ी। किंतु यह एक असंभव कार्य होगा, क्योंकि वास्तव में उनकी उसे कोई लागत नहीं पड़ी; उसने उनके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया। यह कहना अधिक तर्कसंगत होगा कि उसने बोनस शेयरों का अंकित मूल्य चुकाया, क्योंकि कंपनी के उतनी ही राशि के लाभ, जो अन्यथा उसे प्राप्त हो सकते थे, सीधे बोनस शेयरों के

6 (1926) ए.सी. 395

7 (1936) ए.सी. 478

निर्गमन पर शेयर पूंजी खाते में विनियोजित कर दिए गए थे। किंतु इस विधि को मैंने पहले ही इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि निर्धारिती ने बोनस शेयरों के लिए वास्तव में कोई राशि अदा नहीं की। इन्हीं कारणों से बोनस शेयरों की वास्तविक लागत निर्धारित करने के लिए सुझाई गई ये दोनों विधियाँ भी अस्वीकार की जानी चाहिए। यदि, तथापि, यह कहा जाए कि ये विधियाँ बोनस शेयरों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए हैं—जिस मूल्य का वर्तमान प्रयोजन के लिए महत्व शीघ्र ही स्पष्ट होगा—तो मैं कहूँगा कि बाजार मूल्य ज्ञात करने का एकमात्र तरीका स्वयं बाजार से ही है।

तो फिर बोनस शेयरों की लागत कैसे निर्धारित की जाए? हम इस बिंदु से आरंभ करते हैं कि वास्तव में उनके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था। किंतु यदि अधिग्रहण की लागत शून्य मानी जाए, तो शेयरों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि कर योग्य लाभ बन जाएगी। *आयकर आयुक्त बनाम बाई शिरीनबाई के. कूका* (8) में इस न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया है कि “स्पष्टतः बिक्री से प्राप्त संपूर्ण राशि या प्राप्तियाँ लाभ नहीं मानी जा सकतीं और उन्हें कर के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना निरर्थक होगा।” अतः लाभों का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि बोनस शेयर बिना किसी लागत के अर्जित किए गए थे। अपीलीय सहायक आयुक्त और न्यायधिकरण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण समर्थनीय नहीं है।

मेरे विचार में बोनस शेयरों की लागत का निर्धारण *बाई शिरीनबाई कूका* (1) के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। उस प्रकरण में निर्धारिती ने कई वर्ष पूर्व निवेश के रूप में शेयर अपेक्षाकृत कम मूल्य पर खरीदे थे। उसने 1 अप्रैल 1945 से उनका व्यापार आरंभ किया। प्रश्न यह था कि उन शेयरों की बिक्री पर हुए लाभों का निर्धारण कैसे किया जाए। बिक्री मूल्य ज्ञात था, किंतु लागत मूल्य क्या था? उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए व्यवसाय के खातों को वाणिज्यिक सिद्धांतों

पर देखना होगा और लाभ को उसके सामान्य एवं स्वाभाविक अर्थ में समझना होगा—ऐसे अर्थ में जिसे कोई भी व्यवसायी गलत नहीं समझेगा। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि जब निर्धारिती ने शेयर कम मूल्य पर खरीदे, तो वही उनकी उसके लिए लागत थी, किंतु व्यवसाय के लिए उन शेयरों की लागत न तो अधिक थी और न ही कम, बल्कि 1 अप्रैल 1945 को उनका बाजार मूल्य थी। यह वही तिथि थी जब व्यवसाय आरंभ हुआ था। इन टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा पूर्णतः अनुमोदित किया गया।

अतः *बाई शिरीनबाई कूका* (1) का प्रकरण इस सिद्धांत का प्राधिकरण है कि जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी व्यापारिक परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए चुकाई गई राशि दर्शाई नहीं जा सकती, वहाँ कर प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि वह परिसंपत्ति उसके अधिग्रहण की तिथि के बाजार मूल्य पर अर्जित की गई थी। इस प्राधिकरण के आधार पर, मेरे विचार में, वर्तमान प्रकरण में बोनस शेयरों को उनके निर्गमन की तिथि के बाजार मूल्य पर अर्जित माना जाना चाहिए।

अतः मैं संदर्भित प्रश्न का उत्तर ना में दूँगा।

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह— आयकर आयुक्त, बॉम्बे द्वारा दायर यह अपील यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि जो निर्धारिती शेयरों का व्यवसाय करता है, उसके द्वारा बोनस शेयरों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। यहाँ निर्धारिती दलमिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (अब श्री ऋषभ इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड) है, जो एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, और बोनस शेयर कैलेंडर वर्ष 1945 में रोहतास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा शेयरधारकों के पास पहले से धारित प्रत्येक एक साधारण शेयर के बदले एक बोनस शेयर के अनुपात में जारी किए गए थे। इस प्रकार निर्धारिती कंपनी को प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले 31,909 बोनस शेयर प्राप्त हुए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी पूर्व स्वामित्व 31,909 साधारण शेयरों की थी। विद्यमान साधारण शेयर निर्धारिती कंपनी द्वारा 5,85,283 रुपये में

खरीदे गए थे। अब हम निर्धारण वर्ष 1949-50 पर आते हैं, जो निर्धारिती कंपनी की लेखा अवधि, अर्थात् कैलेंडर वर्ष 1948, के अनुरूप था। निर्धारिती कंपनी शेयरों को निवेश के रूप में भी धारित किए हुए थी और शेयरों का लेन-देन भी करती थी। व्यापार खाते में सम्मिलित शेयर, जो कि व्यापारगत माल थे, वर्ष के प्रारंभ में भी और वर्ष के अंत में भी मूल्यांकित किए गए थे तथा लेखामूल्य लागत के आधार पर था। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1948 के बीच निर्धारिती कंपनी ने रोहतास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के कुछ शेयर बेचे और अन्य खरीदे। 1 जनवरी 1948 को उसके पास 1,10,747 शेयर थे, जिनका उसके खातों में मूल्य 15,57,902 रुपये अंकित था। निर्धारिती कंपनी ने ये शेयर 29 जनवरी 1948 को दलमिया सीमेंट एंड पेपर मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 15,50,458 रुपये में बेच दिए। यह तिथि, यह उल्लेख किया जा सकता है, उस अवधि के भीतर आती थी जिसमें पूंजीगत लाभ कर योग्य थे। निर्धारिती कंपनी ने इस बिक्री पर 7,444 रुपये की हानि का विवरण प्रस्तुत किया। अपने खातों में उसने इन शेयरों का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया था—

विद्यमान शेयर	लेखा मूल्य
(1) 17,259 (31,909 मूल शेयरों में से)	3,10,951.00 रुपये, 5,84,283 रुपये में से आनुपातिक लागत।
(2) 31,909 बोनस शेयर	3,19,090.00 रुपये, प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य पर।
(3) 59,079 नव निर्गम शेयर	8,88,561.00 रुपये, लागत पर।
(4) 2,500 नये क्रय किए गए शेयर	39,300.00 रुपये, लागत पर।
कुल 1,10,747 शेयर	15,57,902.00 रुपये।

उपरोक्त खाते में 3,19,090 रुपये की जो राशि बोनस शेयरों की लागत को दर्शाती थी, उसे निवेश खाते में विकलित किया गया और समान राशि पूंजी आरक्षित खाते में प्रत्ययित की गई। जो हानि दर्शाई गई थी, वह 1,10,747 शेयरों की लागत मूल्य के रूप में दावा की गई 15,57,902 रुपये की राशि और उनके बिक्री मूल्य 15,50,458 रुपये के बीच का अंतर थी।

यह विवरण विशेष अन्वेषण अंचल, पटना के आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अपने निर्धारण आदेश में आयकर अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब बोनस शेयर जारी किए गए थे, उस समय विद्यमान शेयरों का बाजार मूल्य प्रति शेयर 18 रुपये था और शेयरों का कुल मूल्य 5,74,362 रुपये था (31,909 × 18 रुपये)। उसने यह अभिनिर्धारित किया कि शेयरों की बिक्री प्रति शेयर 14 रुपये की दर से हुई थी। इन तथ्यों पर उसने बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय *आयकर आयुक्त बनाम मानेकलाल चुन्नीलाल एंड सन्स* (9) का अनुप्रयोग करने का दावा किया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रति बोनस शेयर 7/8/0 रुपये का लाभ हुआ तथा कुल लाभ 2,39,317 रुपये था, जिसे उसने पूंजीगत लाभ माना। उसने 2,39,317 रुपये को पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य ठहराया।

पटना के अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष, बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय *एमरल्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी* (10) पर अवलंबन किया गया और यह तर्क दिया गया कि उस प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत को लागू करने पर औसत लागत प्रति शेयर 9/10/0 रुपये होती है और कुल लाभ 1,49,355 रुपये होता है। अपीलीय सहायक आयुक्त ने उक्त गणना स्वीकार नहीं की। अपीलीय सहायक आयुक्त के अनुसार, बोनस शेयरों की निर्धारिती कंपनी को कोई लागत नहीं पड़ी थी। उसने पुस्तकीय मूल्यांकन से 3,19,090 रुपये घटा दिए और यह अभिनिर्धारित किया कि 1,10,747 शेयरों की वास्तविक

9 आयकर संदर्भ संख्या 16, 1948, दिनांक 23-3-1949।

10 (1956) 29 आई.टी.आर. 814

लागत 12,38,812 रुपये थी और यह कि निर्धारिती कंपनी ने शेयरों की बिक्री पर 7,444 रुपये की हानि वहन करने के स्थान पर वास्तव में 3,11,646 रुपये का लाभ कमाया था। उसने निर्धारिती कंपनी को नोटिस जारी किया और निर्धारण बढ़ा दिया।

न्यायधिकरण के समक्ष आगे की अपील में, निर्धारिती कंपनी ने पुनः बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय *एमरल्ड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी* के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि वास्तविक लाभ 1,57,326 रुपये था। यह गणना 31,909 साधारण शेयरों की लागत को उन शेयरों तथा बोनस शेयरों पर संयुक्त रूप से फैलाकर, तथा पुराने साधारण शेयरों से संबंधित आधी लागत में उसी वर्ष किए गए नये क्रयों की लागत जोड़कर, और बोनस शेयरों के अतिरिक्त अन्य शेयरों की औसत लागत ज्ञात करके की गई थी।

न्यायधिकरण ने इस गणना को स्वीकार नहीं किया। न्यायधिकरण के अनुसार, जिन शेयरों के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया, उनके लिए कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं था। न्यायधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुराने शेयरों और बोनस शेयरों को "एक साथ जोड़ा" नहीं जा सकता और अपीलीय सहायक आयुक्त का निर्णय सही था। तथापि, न्यायधिकरण ने आयकर अधिनियम की धारा 66(1) के अंतर्गत निर्धारिती कंपनी के अनुरोध पर एक प्रकरण विवरण प्रस्तुत किया और उच्च न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न प्रस्तावित किया—

"क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की बिक्री पर 3,11,646 रुपये का जो लाभ निर्धारित किया गया है, वह विधि के अनुरूप है?"

इस संदर्भ को वी. रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश, तथा कन्हैया सिंह, न्यायाधीश ने सुना। उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा 3,11,646 रुपये या किसी

अन्य राशि पर लाभ की गणना करना गलत था। उनके अनुसार 31,909 शेयरों की बिक्री पर कोई लाभ नहीं हुआ था और उन्होंने प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती कंपनी की ओर से यह तर्क दिया गया कि बोनस शेयरों का मूल्यांकन प्रति शेयर 10 रुपये के अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए, जबकि विभाग का तर्क था कि उनका मूल्य शून्य होना चाहिए। प्रतीत होता है कि बोनस शेयरों की लागत मूल्य की गणना की अन्य विधियाँ उस चरण में त्याग दी गई थीं। रामास्वामी, मुख्य न्यायाधीश, और कन्हैया सिंह, न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि बोनस शेयरों का निर्गमन कंपनी के आरक्षित खाते या लाभों का मात्र पूंजीकरण था और बोनस शेयरों को निःशुल्क जारी किया गया नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, शेयरों के लिए भुगतान उस बोनस में निहित था, जो अवितरित लाभों से घोषित किया गया था, और बोनस शेयरों का अंकित मूल्य अवितरित आरक्षित निधियों के संबंध में निर्धारिती कंपनी को हुई क्षति को दर्शाता था। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त विशेष अनुमति के आधार पर दायर की गई।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बोनस शेयरों की लागत निर्धारित करने की चार संभावित विधियाँ हैं। पहली विधि यह है कि बोनस शेयरों की लागत को उनके अंकित मूल्य के समतुल्य माना जाए। यही विधि निर्धारिती कंपनी ने अपने खातों में प्रविष्टियाँ करते समय अपनाई थी। दूसरी विधि, जिसे विभाग ने अपनाया, यह है कि चूँकि शेयरधारक ने शेयरों के लिए नकद में कुछ भी भुगतान नहीं किया, इसलिए लागत शून्य मानी जानी चाहिए। तीसरी विधि यह है कि मूल शेयरों की लागत को लेकर उसे मूल शेयरों और बोनस शेयरों पर संयुक्त रूप से फैला दिया जाए। चौथी विधि यह है कि शेयर बाजार में मूल शेयरों के मूल्य में आई गिरावट का पता लगाया जाए और उस गिरावट को बोनस शेयरों पर भारित किया जाए। हमारे समक्ष निर्धारिती कंपनी ने प्रथम विधि को स्वीकार करने का आग्रह किया और विभाग

ने तृतीय विधि को। अब हम विचार करेंगे कि बोनस शेयरों का मूल्यांकन करने की उचित विधि कौन-सी है।

अब यह सुविधाजनक होगा कि पहले उस तर्क से प्रारंभ किया जाए कि बोनस शेयरों की लागत उनके अंकित मूल्य के रूप में ही मानी जानी चाहिए। इस तर्क पर सूक्ष्म ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके समर्थन में लॉर्ड सम्नर की कुछ टिप्पणियों का सहारा लिया गया है, जिनका उल्लेख शीघ्र किया जाएगा। श्री कपूर का तर्क है कि कोई कंपनी सामान्यतः छूट पर शेयर जारी नहीं कर सकती, और इससे भी अधिक बल के साथ यह कहा जाना चाहिए कि वह बिना किसी मूल्य के शेयर जारी नहीं कर सकती। अतः उनका कहना है कि बोनस शेयरों का निर्गमन दोहरे कार्य को सम्मिलित करता है—नए शेयरों का सृजन और निर्गमन, तथा एक लाभांश या बोनस की घोषणा, जिसे लाभांश या बोनस शेयरधारक को दिया हुआ माना जाना चाहिए और जिसे वह नए शेयरों को प्राप्त करने के लिए वापस करता हुआ समझा जाना चाहिए। चूँकि कंपनी की पुस्तकों में शेयरधारक द्वारा पूंजी अंशदान के रूप में प्रत्ययित की गई राशि बोनस शेयरों का अंकित मूल्य होती है, इसलिए उनका कहना है कि बोनस शेयरों की लागत वही होनी चाहिए। इस हेतु उन्होंने प्रिवी काउंसिल के निर्णय *स्वान ब्रुअरी कंपनी लिमिटेड बनाम रेक्स* पर अवलंबन किया है। उस प्रकरण में लॉर्ड सम्नर ने कहा था—

“यह सही है कि एक अर्थ में यह सब एक ही लेन-देन था, किंतु यह एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। व्यवसाय में, और विधि की परिकल्पना में भी, दो लेन-देन थे— कंपनी की ओर से नए शेयरों का सृजन और निर्गमन, तथा आवंटितियों की ओर से उनके लिए भुगतान करने के दायित्व की पूर्ति, आरक्षित निधि से शेयर पूंजी में ऐसे स्थानांतरण को स्वीकार करके, जिससे पुराने शेयरों के अधिकार में 101,450 पाउंड की राशि में किसी भी प्रकार की भागीदारी समाप्त हो गई और उसके स्थान पर नए

शेयरों के अधिकार में कंपनी के लाभों और परिसंपत्तियों में सामान्य भागीदारी का अधिकार उत्पन्न हुआ, बिना इसके कि उनके संबंध में कोई अतिरिक्त नकद अंशदान करने का दायित्व हो।”

लॉर्ड सम्नर ने बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में *आयुक्त आंतरिक राजस्व बनाम जॉन ब्लॉट* में भी अपने इसी दृष्टिकोण का पालन किया, किंतु लॉर्ड डुनेडिन और वे अल्पमत में थे, और यह दृष्टिकोण बहुमत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस मतभेद को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में तब क्या होता है जब कोई कंपनी बोनस शेयर जारी करती है।

एक सीमित दायित्व कंपनी को अपने संघ ज्ञापन में यह उल्लेख करना होता है कि वह कितनी पूंजी के साथ व्यवसाय करना चाहती है और उस पूंजी को कितने शेयरों में विभाजित किया जाएगा। कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी संपूर्ण पूंजी एक ही समय में जारी करे। वह प्रारंभ में केवल अपनी पूंजी का एक भाग जारी कर सकती है और शेष अप्रयुक्त पूंजी को किसी बाद की तिथि पर जारी कर सकती है। जब कंपनी व्यवसाय करती है और लाभ उत्पन्न होते हैं, तो वह उन लाभों का वितरण कर सकती है या उन्हें आरक्षित रख सकती है। जब वह उन्हें आरक्षित रखती है, तो वह धन अपनी तिजोरियों में नहीं रखती; वह धन व्यवसाय में प्रयुक्त होता है और वास्तव में प्रयुक्त पूंजी में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। जब आरक्षित निधियाँ पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती हैं, तो कंपनी की जारी पूंजी का उपयोग की गई पूंजी से वास्तविक संबंध समाप्त हो जाता है। तब कंपनी अपनी जारी पूंजी बढ़ाने का निर्णय ले सकती है और बोनस घोषित कर सकती है तथा बोनस के स्थान पर शेयरधारकों को ऐसे प्रमाणपत्र जारी कर सकती है जो उन्हें बड़ी हुई पूंजी में अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिकार देते हों। लेखांकन की दृष्टि से, जारी पूंजी बढ़ाने से पूर्व परिसमापन की स्थिति में मूल शेयरों से शेयरधारक को वही प्रतिफल प्राप्त होता, जो पुराने

और नए शेयरों को मिलाकर प्राप्त होता। जो कुछ पहले शेयरधारक के पास मूल प्रमाणपत्रों के आधार पर था, वह बोनस शेयरों के निर्गमन के बाद अधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर उसके पास होता है। वास्तविकता में, तथापि, शेयरधारक को नकद नहीं मिलता, बल्कि ऐसी संपत्ति मिलती है जिससे भविष्य में धन के रूप में आय प्राप्त हो सकती है। इस अर्थ में उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि जारी पूंजी में वृद्धि होती है और उसमें शेयरधारक का अधिकार उसके पास पहले से मौजूद प्रमाणपत्रों की संख्या से नहीं, बल्कि अधिक प्रमाणपत्रों से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार कोई लाभांश भुगतान नहीं होता। कड़े अर्थ में लाभांश का अर्थ लाभ में हिस्सा होता है, और लाभ में हिस्सा तभी कहा जा सकता है कि शेयरधारक को दिया गया है, जब लाभ का कोई भाग नकद रूप में उसे मुक्त किया जाए, कंपनी वह राशि अदा करे और शेयरधारक उसे प्राप्त कर ले। आरक्षित निधियों को पूंजी में परिवर्तित करने से लाभों का शेयरधारक को मुक्त किया जाना सम्मिलित नहीं होता; धन वहीं रहता है जहाँ वह था, अर्थात् व्यवसाय में प्रयुक्त रहता है। इसके पश्चात कंपनी उस धन का उपयोग लाभों की आरक्षित निधि के रूप में नहीं, बल्कि शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त और जारी की गई अपनी वास्तविक पूंजी के रूप में करती है। यदि कोई शेयरधारक अपने बोनस शेयर बेचता है, जैसा कि शेयरधारक प्रायः करते हैं, तो वह कंपनी की पूंजी में भागीदारी के अपने अधिकार से पृथक हो जाता है, और उसे जो नकद प्राप्त होता है वह लाभांश नहीं, बल्कि उस अधिकार का मूल्य होता है। बोनस शेयर बिकने पर उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक भी हो सकता है और कम भी, और इससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रमाणपत्र अपने मुख पर उल्लिखित राशि प्राप्त करने का कोई वाउचर नहीं है। प्रमाणपत्र को नकद के रूप में या शेयरधारक द्वारा अदा किए गए नकद का प्रतिनिधि मानना उस आंतरिक प्रक्रिया की उपेक्षा करना है, जिसके द्वारा वह प्रमाणपत्र अस्तित्व में आता है।

अब हम यह देख सकते हैं कि *स्वान ब्रुअरी* के प्रकरण में क्या अभिनिर्धारित किया गया था। उस प्रकरण में कंपनी ने अतीत में अपने सभी लाभों का वितरण नहीं किया था।

परिणामस्वरूप उसके पास एक विशाल आरक्षित निधि थी। कंपनी ने अपनी पूंजी बढ़ाई और उस आरक्षित निधि से *अनुपातिक रूप* से शेयर जारी किए। इन शेयरों को लॉर्ड सम्नर ने लाभांश माना। उस प्रकरण में यह दावा किया गया था कि कोई लाभांश नहीं था और लाभांश का कोई वितरण नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ भी वितरित नहीं किया गया और कुछ भी दिया नहीं गया। जहाँ पहले एक शेयर था, वहाँ बोनस की घोषणा के बाद दो शेयर हो गए, किंतु भागीदारी का अधिकार वही रहा। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया गया और शेयरों के अंकित मूल्य को लाभांश माना गया। तथापि, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अधिनियम की धारा 2 में “लाभांश” को इस प्रकार परिभाषित किया गया था कि उसमें “किसी कंपनी के सदस्यों को दिए जाने, प्रत्ययित किए जाने या उनके बीच वितरित किए जाने के लिए अभिप्रेत प्रत्येक लाभ, सुविधा या प्राप्ति” सम्मिलित थी। यह स्पष्ट था कि बोनस शेयरों को उस विस्तारित परिभाषा के बाहर रखना असंभव था।

स्वान ब्रुअरी⁽¹¹⁾ का प्रकरण उस धारा की विशेष शर्तों के आधार पर सही रूप में अभिनिर्धारित माना गया है, जैसा कि वास्तव में था। *ब्लॉट* के प्रकरण में, रोलेट, न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि बोनस शेयर “लाभांश” शब्द की अत्यंत कृत्रिम परिभाषा में प्रयुक्त “सुविधा” शब्द के अंतर्गत आते हैं। अपील न्यायालय में, लॉर्ड स्टर्नडेल, एम. आर., तथा वॉरिंगटन और स्कटन, लॉर्ड न्यायाधीशों ने इसी आधार पर उस प्रकरण को भिन्न ठहराया। तथापि, रोल्स के मास्टर ने यह इंगित किया कि *बाउच बनाम स्प्राउल* ⁽¹²⁾ में लॉर्ड हर्शल ने यह कहा था कि ऐसे प्रकरण में कंपनी कोई राशि लाभांश के रूप में न तो अदा करती है और न ही अदा करने का इरादा रखती है, बल्कि वह अविभाजित लाभों को विनियोजित करने का इरादा रखती है और वास्तव में उन्हें विनियोजित करती है तथा उन्हें उपक्रम की पूंजी में वृद्धि के रूप में व्यवहार करती है।

11 (1914) एसी. 231

12 (1887) 12 ए.सी. 385

इसके पश्चात ब्लांट का प्रकरण हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुँचा। इस चरण पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि उसमें यह प्रश्न सम्मिलित था कि क्या बोनस शेयर के अंकित मूल्य द्वारा प्रदर्शित राशि पर अधि-कर देय था। अधि-कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, जो (जैसा कि हमारे देश में है) किसी व्यक्ति की आय के संबंध में भारित किया जाने वाला कर था, सभी स्रोतों से प्राप्त समस्त आय को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था और यदि कुल आय एक निश्चित राशि से अधिक हो जाती थी, तो कर देय होता था। ऐसी अतिरिक्त देयता वास्तव में अतिरिक्त आयकर ही होती है और सुविधा के लिए उसे अधि-कर कहा जाता है। विस्काउंट्स हाल्डेन, फिनले और केव ने यह अभिनिर्धारित किया कि शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर राशि को करदाता द्वारा प्राप्त माना नहीं जा सकता और यह कि इससे अधिक कुछ नहीं हुआ था सिवाय कंपनी के लाभों के पूंजीकरण के, जिसके संबंध में शेयरधारकों को प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जो उन्हें आरक्षित निधि की राशि में केवल पूंजी के भाग के रूप में भागीदारी का अधिकार देते थे। दूसरी ओर, लॉर्ड डुनेडिन और लॉर्ड सम्नर ने यह अभिनिर्धारित किया कि "पूंजीकरण" शब्द कुछ हद तक अस्पष्ट है और शेयरों के निर्गमन में एक दोहरी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जिसके द्वारा एक राशि शेयरधारक को मुक्त की जाती है, किंतु कंपनी द्वारा रखी जाती है और उन शेयरों के भुगतान में प्रयुक्त की जाती है। हमारे मत में, और हम यह सम्मानपूर्वक कहते हैं, बहुमत का दृष्टिकोण ही अधिक उपयुक्त है और हमारे द्वारा पूर्व में प्रतिपादित निष्कर्ष उससे पर्याप्त रूप से मेल खाते हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि लाभ कंपनी के हाथों में लाभ ही होते हैं, किंतु जब उन्हें शेयरधारकों को भुगतान करने के स्थान पर पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई आय शेयरधारक को उपार्जित हुई है, क्योंकि नए शेयर सामान्य वितरण की स्थिति में अधिशेष परिसंपत्तियों के अधिक अनुपात पर अधिकार प्रदान करते हैं। कंपनी में प्रयुक्त चल पूंजी, जो पहले अभिदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों से मिलकर बनी थी, अब अभिदत्त पूंजी बन जाती है। जो राशि शेयरधारकों को आय

के रूप में देय कही जाती है, वह मात्र कंपनी की पूंजी में वृद्धि करती है और शेयरधारकों के हाथों में प्रमाणपत्र ऐसी संपत्ति होते हैं जिनसे भविष्य में आय प्राप्त होगी। लॉर्ड डुनेडिन ने *स्वान ब्रुअरी* के प्रकरण पर अवलंबन नहीं किया। उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि चूँकि कंपनी किसी अन्य के लिए भुगतान नहीं कर सकती, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि शेयरधारक ने स्वयं बोनस शेयरों के लिए भुगतान किया है और वह भुगतान वह राशि थी जो संचित लाभों से लाभ के रूप में आई थी। तथापि, लॉर्ड सम्नर ने कहा कि *स्वान ब्रुअरी* के प्रकरण में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कानून में लाभांश की विस्तारित परिभाषा पर नहीं, बल्कि अंतर्निहित सिद्धांत पर अवलंबन किया था। उन्होंने यह टिप्पणी की कि यांत्रिक दृष्टि से जो किया गया, वह यह था कि शेयरधारक को मुक्त की गई राशि को बड़ी हुई पूंजी के भुगतान के लिए रोक लिया गया।

लॉर्ड सम्नर पहले ही प्रिवी काउंसिल के एक पूर्ववर्ती प्रकरण में अपने इसी दृष्टिकोण का अनुसरण कर चुके थे, किंतु *स्वान ब्रुअरी* ⁽¹³⁾ का प्रकरण और *ब्लॉट* ⁽¹⁴⁾ का प्रकरण प्रिवी काउंसिल के समक्ष *आयकर आयुक्त, बंगाल बनाम मार्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य* ⁽¹⁵⁾ में विचाराधीन आए। लॉर्ड थैंकरटन ने *स्वान ब्रुअरी* ⁽¹⁾ के प्रकरण को भिन्न ठहराया और *ब्लॉट* ⁽²⁾ के प्रकरण का अनुसरण किया, यद्यपि *निकोलस बनाम विक्टोरिया राज्य के कर आयुक्त* ⁽¹⁶⁾ के प्रकरण में *ब्लॉट* ⁽²⁾ के प्रकरण को इस आधार पर भिन्न ठहराया गया कि बेरोजगारी राहत कर (निर्धारण) अधिनियम, 1933 की परिभाषा में किसी व्यक्ति की निर्धारणीय आय में "कंपनी द्वारा विक्टोरिया में या अन्यत्र उससे प्राप्त किसी भी लाभ से उसे प्रत्ययित, अदा या वितरित किया गया कोई भी लाभांश, ब्याज, लाभ या

13 (1914) ए.सी. 231

14 8 कर प्रकरण 101

15 (1936) एसी. 478

16 (1940) एसी. 744

बोनस" सम्मिलित था, और उस परिभाषा के अंतर्गत बोनस शेयरों को लाभांश माना जाना चाहिए था।

भारतीय आयकर अधिनियम "लाभांश" को परिभाषित करता है और कुछ दिशाओं में उसका विस्तार भी करता है, किंतु इस सीमा तक नहीं कि बोनस शेयरों के निर्गमन को आरक्षित निधियों की मुक्तता के रूप में लाभ माना जाए, जिससे उन्हें उस पद के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सके। अतः परिभाषा में किसी भी बात के कारण शेयरों के अंकित मूल्य को लाभांश नहीं माना जा सकता। जो शेयर प्रमाणपत्र बोनस के रूप में जारी किया जाता है, वह धारक को कंपनी की परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी तथा भावी लाभों में भागीदारी का अधिकार देता है। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, यदि उसे बेचा जाए तो वह अधिक या कम मूल्य पर बिक सकता है। बाजार मूल्य अनेक अनिश्चित कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से एक प्रतिफल या अपेक्षित प्रतिफल भी है। अतः यदि शेयरधारक को कोई क्षति होती है, तो उसकी गणना किसी सिद्धांत के आधार पर की जानी चाहिए, किंतु बोनस शेयरों की लागत को उनके अंकित मूल्य पर निर्धारित करने की विधि न तो तथ्य से मेल खाती है और न ही व्यावसायिक लेखांकन से।

तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बोनस शेयर एक उपहार हैं और बिना किसी लागत के प्राप्त किए गए हैं? प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत हो सकता है, किंतु बोनस शेयरों के निर्गमन के प्रभाव को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शेयरधारक की मूल स्वामित्व के मूल्य में उसे तत्काल क्षति होती है। इस प्रकरण में आयकर अधिकारी ने यह दर्शाया है कि वर्ष 1945 में, जब शेयरों का मूल्य स्थिर हुआ, तब वह प्रति शेयर 9 रुपये था, जबकि बोनस शेयरों के निर्गमन से पूर्व शेयरों का मूल्य प्रति शेयर 18 रुपये था। दूसरे शब्दों में, *अनुपातिक रूप* से बोनस शेयरों के निर्गमन से, जो विद्यमान शेयरों के साथ *समान दर्जा* रखते थे, बाजार मूल्य ठीक आधा हो गया और पुराने तथा बोनस शेयरों के बीच विभाजित हो गया। सामान्यतः

यही स्थिति होती है, किंतु तब नहीं जब शेयर *समान दर्जा* न रखते हों, और उस स्थिति से हम पृथक रूप से निपटेंगे। जब शेयर *समान दर्जा* रखते हैं, तो परिणाम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि जो कुछ शेयरधारक पहले एक पूरे रुपये के सिक्के के रूप में धारण करता था, वह बोनस शेयरों के निर्गमन के बाद दो पचास नये पैसे के सिक्कों के रूप में उसके पास रहता है। कुल मूल्य वही रहता है, किंतु उस मूल्य का प्रमाण एक प्रमाणपत्र में न होकर दो प्रमाणपत्रों में होता है। इस बात को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पूर्ववर्ती प्रकरण का उद्धरण देते हुए *आइस्नर बनाम मैकॉम्बर* (17) में सशक्त रूप से व्यक्त किया था—

“स्टॉक लाभांश वास्तव में न तो कंपनी की संपत्ति से कुछ लेता है और न ही शेयरधारकों के हितों में कुछ जोड़ता है। उसकी संपत्ति कम नहीं होती और उनके हित बढ़ते नहीं हैं..... प्रत्येक शेयरधारक का आनुपातिक हित वही रहता है। केवल परिवर्तन उस साक्ष्य में होता है जो उस हित का प्रतिनिधित्व करता है; नए शेयर और मूल शेयर मिलकर उसी आनुपातिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नए शेयरों के निर्गमन से पूर्व मूल शेयर करते थे..... संक्षेप में, कंपनी पहले की अपेक्षा निर्धन नहीं होती और न ही शेयरधारक पहले की अपेक्षा समृद्ध होता है..... यदि वादी को इस परिवर्तन से कोई छोटा लाभ हुआ भी हो, तो वह 4,17,450 डॉलर का लाभ नहीं था, जिस राशि पर उस पर कर लगाया गया..... जो हुआ है, वह यह कि वादी के पुराने प्रमाणपत्र वस्तुतः विभाजित हो गए हैं और नए प्रमाणपत्रों के मूल्य की सीमा तक उनके मूल्य में कमी आ गई है।

..... यदि कोई शेयरधारक लाभांश स्टॉक बेचता है, तो वह अनिवार्य रूप से अपनी पूंजीगत हिस्सेदारी का एक भाग विक्रय करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वह अपने पुराने स्टॉक का कोई भाग लाभांश से पहले या बाद में बेचता। जो वह अपने पास

रखता है, वह उसे भविष्य के लाभांशों के उसी अनुपात का अधिकार नहीं देता जैसा कि विक्रय से पहले था। कंपनी के नियंत्रण में उसकी हिस्सेदारी भी उसी प्रकार घट जाती है।”

स्वान ब्रुअरी (18) के प्रकरण को यहाँ भी विस्तारित परिभाषा के आधार पर भिन्न ठहराया गया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बोनस शेयरों को यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शेयरधारक को कोई लागत नहीं पड़ी, क्योंकि बोनस शेयरों के निर्गमन पर उसकी मूल स्वामित्व के मूल्य में उसे तत्काल क्षति होती है। प्रयुक्त पूंजी की अर्जन क्षमता वही रहती है, चाहे आरक्षित निधि को बोनस शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाए। बोनस शेयरों के निर्गमन से वास्तविक या अपेक्षित लाभांश में समानुपाती गिरावट आती है और बाजार मूल्य उसी के अनुसार घटता है। अतः वह गणना विधि, जो बोनस शेयरों का मूल्य शून्य मानती है, सही नहीं हो सकती।

अब विचार के लिए अन्य दो विधियाँ शेष रह जाती हैं। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि नए शेयर पुराने शेयरों के साथ *समान दर्जा* रखते भी हो सकते हैं और भिन्न भी। प्रत्येक स्थिति में लागत लेखांकन की विधि भिन्न हो सकती है, किंतु सार और सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। एक संभावित विधि यह है कि पहले से धारित शेयरों के बाजार मूल्य में आई सटीक गिरावट का पता लगाया जाए और उस गिरावट को बोनस शेयरों के मूल्य पर भारित किया जाए। यह बाजार मूल्य मध्य मूल्य होना चाहिए, न कि किसी असामान्य उतार-चढ़ाव से प्रदर्शित मूल्य। दूसरी विधि यह है कि शेयरधारक द्वारा अपने मूल शेयरों के अधिग्रहण में व्यय की गई राशि को लिया जाए और उसे पुराने तथा नए शेयरों पर फैलाया जाए, नए शेयरों को पुराने का उपार्जन मानते हुए, और मूल शेयरों की लागत मूल्य को पुराने और बोनस शेयरों को मिलाकर कुल लागत मूल्य माना जाए। यही विधि इस प्रकरण में विभाग द्वारा सुझाई गई है। चूँकि इस प्रकरण में बोनस शेयर पुराने शेयरों के साथ *समान*

दर्जा रखते हैं, इसलिए मूल लागत को पुराने और नए शेयरों पर फैलाने में कोई कठिनाई नहीं है और विभाग का तर्क सही है। किन्तु वर्तमान विचार यहीं समाप्त नहीं होता। यह सरल विधि तब कठिनाइयाँ प्रस्तुत कर सकती है, जब शेयर *समान दर्जा* न रखते हों या भिन्न प्रकृति के हों। ऐसे मामलों में, दोनों प्रकार के शेयरों के परिणामी बाजार मूल्य की तुलना करना आवश्यक हो सकता है, ताकि उचित लागत मूल्य निर्धारित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, यदि शेयर *समान दर्जा* न रखते हों, तो बोनस शेयरों की लागत मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य साक्ष्यों की सहायता लेनी पड़ सकती है। तब बाजार में परिलक्षित परिणाम की जाँच कर न्यायसंगत लागत का निर्धारण करना आवश्यक हो सकता है। इंग्लैंड में वित्त अधिनियम, 1962 की अनुसूची कर के अनुच्छेद 10 में ऐसे विषयों और अधिकार निर्गम के मूल्यांकन का प्रावधान है, किंतु हम उन विषयों से संबंधित नहीं हैं और इस पर कोई मत व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अब उन तीन मामलों का उल्लेख शेष है, जिनका हम पूर्व में संक्षेप में उल्लेख कर चुके हैं और जिन पर कुछ अवलंबन किया गया था। *आयकर आयुक्त (केंद्रीय), बॉम्बे बनाम मेसर्स मानेकलाल चुनीलाल एंड सन्स लिमिटेड, बॉम्बे* (19) में, निर्धारिती के पास अंबिका मिल्स लिमिटेड और अरविंद मिल्स लिमिटेड के कुछ साधारण शेयर थे, जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर 100 रुपये था। इन दोनों कंपनियों ने बाद में बोनस घोषित किया और प्रति दो साधारण शेयरों के बदले एक वरीयता शेयर के अनुपात में, प्रति शेयर 100 रुपये के अंकित मूल्य के वरीयता शेयर जारी किए। इन वरीयता शेयरों को निर्धारिती ने बेच दिया और यदि अंकित मूल्य को लागत माना जाए तो थोड़ा सा लाभ होता था। विभाग का तर्क था कि संपूर्ण बिक्री प्राप्ति कर योग्य है, क्योंकि निर्धारिती ने बोनस शेयरों के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया था और जो कुछ उसे प्राप्त हुआ वह लाभ था। निर्धारिती का दृष्टिकोण यह था कि लागत शेयरों के अंकित मूल्य के बराबर थी। उच्च न्यायालय ने इन दोनों तर्कों को

19 आई. टी. संदर्भ सं. 16, 1948, दिनांक 23 मार्च 1949

अस्वीकार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व में धारित शेयरों की लागत को उन शेयरों और बोनस शेयरों के बीच उनके अंकित मूल्य के समान अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए, और फिर इस आधार पर गणना की गई लागत मूल्य की बिक्री मूल्य से तुलना कर लाभ या हानि निर्धारित की जानी चाहिए। हमारे मत में उच्च न्यायालय के इस निर्णय में कठिनाई है। वरीयता शेयरों और साधारण शेयरों का मूल्य उनके अंकित मूल्य के अनुपात में शायद ही किया जा सकता है। साधारण शेयर और वरीयता शेयर *समान दर्जा* नहीं रखते।

इसके बाद का प्रकरण *एमरल्ड बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी (१०)* का है। उस प्रकरण में, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारिती के पास 350 शेयर थे, जिनमें से 50 शेयर बोनस शेयर थे और सभी का अंकित मूल्य प्रति शेयर 250 रुपये था। निर्धारिती ने 300 शेयर बेच दिए और बोनस शेयरों का मूल्य अंकित मूल्य पर लगाकर 35,801 रुपये की हानि का दावा किया। विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती प्रकरण का अनुसरण करते हुए औसत लागत की विधि से 27,766 रुपये की हानि निकाली। न्यायधिकरण ने एक तीसरी विधि सुझाई। उसने 50 शेयरों की उपेक्षा की और 300 शेयरों की लागत तथा उनके बिक्री मूल्य पर विचार कर हानि की गणना की। हानि 27,748 रुपये निकली, किंतु अल्प अंतर के कारण न्यायधिकरण ने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विभाग द्वारा अपनाई गई विधि उचित थी, किंतु इस न्यायालय ने अपील पर यह अभिनिर्धारित किया कि उस प्रकरण में न्यायधिकरण द्वारा अपनाई गई विधि सही थी। इस न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दिया कि चारों में से कौन-सी विधि अपनाई जानी चाहिए, और उस प्रश्न को खुला छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि निर्धारिती के पास मूल रूप से वर्ष 1950 में 50 शेयर थे; वर्ष 1951 में उसे 50 बोनस शेयर प्राप्त हुए। उसने तीन दिन बाद अपनी मूल स्वामित्व बेच दी और दो माह बाद 100 अन्य

शेयर खरीद लिए। वित्तीय वर्ष 1950-51 (निर्धारण वर्ष 1951-52) में आयकर अधिकारी ने 150 शेयरों की औसत लागत निकाली और 50 शेयरों की बिक्री पर 1,060 रुपये का लाभ पाया, जबकि 1,365 रुपये की हानि का दावा किया गया था। निर्धारिती ने अपील नहीं की। वित्तीय वर्ष 1951-52 (निर्धारण वर्ष 1952-53) में निर्धारिती के पास प्रारंभ में 150 शेयर थे (100 खरीदे गए और 50 बोनस)। उसने फिर दो चरणों में 200 शेयर खरीदे और 300 शेयर बेच दिए, जिससे 50 शेयर शेष रहे। निर्धारिती कंपनी ने 35,801 रुपये की हानि का दावा किया। आयकर अधिकारी ने 27,766 रुपये की हानि निकाली और न्यायधिकरण ने 27,748 रुपये की। न्यायधिकरण ने 18 रुपये के नगण्य अंतर के कारण आयकर अधिकारी द्वारा निकाली गई हानि में हस्तक्षेप नहीं किया। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने सभी मध्यवर्ती लेन-देन की उपेक्षा की थी और 300 शेयरों की औसत लागत 50 बोनस शेयरों के साथ निकाल दी थी। जिन शेयरों के संबंध में बोनस शेयर जारी किए गए थे, वे पहले ही बोनस शेयरों के साथ औसत किए जा चुके थे। यह लेखा वर्ष में बोनस शेयरों के निर्गमन का प्रकरण नहीं था। इसमें कुछ शेयरों की खरीद और बिक्री सम्मिलित थी। मूल और बोनस शेयरों की औसत लागत मूल्य पहले ही एक पूर्ववर्ती वर्ष में विभाग द्वारा निर्धारित कर दिया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। निस्संदेह, चागला, मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की थी कि यह ज्ञात नहीं था कि निर्धारण वर्ष में कई में से कौन-से शेयर बेचे गए थे, किंतु प्रकरण विवरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बोनस शेयर अप्रभावित रहे थे।

एमरल्ड कंपनी (²¹) के प्रकरण में इस न्यायालय का निर्णय, तथापि, हमारे द्वारा यहाँ व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यदि बोनस शेयर पुराने शेयरों के साथ *समान दर्जा* रखते हों, तो पुराने शेयरों की लागत को पुराने शेयरों और नए निर्गम पर संयुक्त रूप से फैलाकर बोनस शेयरों का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। जब वे *समान दर्जा* न

21 (1956) 29 आई.टी.आर. 814

रखते हों, तो मूल्य को या तो उनके अंकित मूल्य के अनुपात में (यदि कोई अन्य भिन्न परिस्थिति न हो) या निर्गमन से पूर्व और पश्चात के बाजार मूल्य के आधार पर न्यायसंगत विचारों से समायोजित करना पड़ सकता है।

वर्तमान प्रकरण में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, 31,909 शेयरों की लागत, अर्थात् 5,84,283 रुपये, को उन शेयरों और 31,909 बोनस शेयरों पर संयुक्त रूप से फैलाया जाना चाहिए। अतः बोनस शेयरों की लागत मूल्य 2,92,141 रुपये होगी, क्योंकि बोनस शेयर मूल शेयरों के साथ *समान दर्जा* रखते थे। इस प्रकार खाता निम्नलिखित होगा—

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शेयर

	रुपये
1. वर्ष 1945 से आगे लाए गए 17,259 पुराने निर्गम शेयर, आनुपातिक लागत पर —	1,58,035
2. वर्ष 1945 में प्राप्त 31,909 बोनस शेयर, आनुपातिक एवं फैलायी गई लागत पर —	2,92,141
3. वर्ष 1945 से आगे लाए गए 59,079 नए निर्गम शेयर —	8,88,561
4. वर्ष 1947 से आगे लाए गए 2,500 नए क्रय शेयर —	39,300
	कुल 1,10,747 शेयर —
	13,78,037
वर्ष 1948 में उपर्युक्त सभी शेयरों की बिक्री —	15,50,458
लाभ —	7,444
प्रतिवेदित आय में जोड़ा जाने वाला लाभ —	1,79,865

अतः उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर त्रुटिपूर्ण था और सही उत्तर यह होगा कि 3,11,646 रुपये का जो लाभ निर्धारित किया गया था, वह विधि के अनुरूप नहीं था। इसलिए अपील स्वीकार की जाती है और यहाँ तथा उच्च न्यायालय में व्यय सहित आदेश दिया जाता है।

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।